न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रा0पत्र संख्या:– 168 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. घीसुलाल बी कलाल पुत्र बखतावर जाति मेवाड़ा (कलाल) निवासी बोयल तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान हाल निवासी स्वास्तिक कॉम्पलेक्स तिरूपति पार्क–2 नगर, एयरफोर्स जामनगर सिटी गुजरात 361006		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:–

1. श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक – 25/08/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गांव बोयल पटवार हल्का बासना तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि सम्पति 'ए' खाता सं0 298 के ख0नं0 120 / 1, 122 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9300 है0 की आयी हुई स्थित है। इसी प्रकार सम्पति 'बी' खाता सं0 116 के ख0नं0 432, 433 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.9500 है0 की आयी हुई स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी की विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस कृषि भुमि का उपयोग उपभोग लगातार बिना किसी बाधा अड़चन के चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा बिना प्रार्थी के सही एवं वास्तविक नाम के दस्तावेज का अवलोकन किये व सद्भाविक भूलवश प्रार्थी के दस्तावेजी व सही वास्तविक नाम दर्ज नही कर (1) घीसुलाल पुत्र बगतावरजी (2) घीसु पुत्र बख्तावर दर्ज कर दिया गया तथा प्रार्थी अपने व्यवसायिक कार्य से गुजरात में निवासरत होने से राजस्व रेकर्ड के दस्तावेजों की जानकारी के अभाव में उक्त संशोधन हेतु पूर्व में कार्यवाही नहीं कर सका। जबकि प्रार्थी का वास्तविक दस्तावेजी नाम घीसुलाल बी कलाल पुत्र बखतावरजी है। प्रार्थी को गांव परिवार समाज में घीसुलाल बी कलाल पुत्र बखतावरजी के नाम से भी जाना व पहिचाना जाता है। बल्कि प्रार्थी के स्वयं आधार कार्ड, पेन कार्ड के साथ व अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम घीसुलाल बी कलाल पुत्र बखतावरजी ही दर्ज है जिससे यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम घीसुलाल बी

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

कलाल पुत्र बखतावरजी ही है अर्थात् वादस्थ कृषि भूमि में (1) घीसुलाल पुत्र बगतावरजी (2) घीसु पुत्र बख्तावर एवं घीसुलाल बी कलाल पुत्र बखतावरजी ही है जिन तीनो नामो का एकमात्र व्यक्ति प्रार्थी ही है तथा प्रार्थी को घीसुलाल बी कलाल पुत्र बखतावरजी के नाम से ही सम्बोधित किया जा रहा है। इस अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भुमि ए, बी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम (1) घीसुलाल पुत्र बगतावरजी (2) घीसु पुत्र बख्तावर के स्थान पर घीसुलाल बी कलाल पुत्र बखतावरजी के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा बोयल में स्थित होना, पैरा सं0 2 व 3 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 04 से 05 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

वादग्रस्त कृषि भूमि के मौका एवं राजस्व रेकर्ड की जांच हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/रीडर/2025/1155 दिनांक 11.08.2025 के जरिये प्रार्थी घीसुलाल बी कलाल पुत्र बख्तावर को वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ख.नं. 120/1 रकबा 0.30 है0 किस्म सेवज अव्वल व ख0नं0 122 रकबा 0.63 है0 किस्म सेवज अव्वल में घीसु पुत्र बख्तावर हि0 पूर्ण जाति कलाल व ख0नं0 432 रकबा 0.92 है0 किस्म बारानी अव्वल, ख0नं0 433 रकबा 1.03 है0 किस्म बारानी अव्वल में घीसुलाल पुत्र बख्तावर हि0 1/8 कलाल सा0 देह दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आधार सं0 41159456097 में घीसुलाल बी कलाल व राशन कार्ड सं0 20006126379 में घीसुलाल बी कलाल पुत्र बख्तावर दर्ज हैं। अतः बाद जांच घीसुलाल बी कलाल पुत्र बख्तावर जी किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं, की रिपोर्ट पेश की। सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। वहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भुमि ए, बी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम (1) घीसुलाल पुत्र बगतावरजी (2) घीसु पुत्र बख्तावर के स्थान पर घीसुलाल बी कलाल पुत्र बखतावरजी के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

राजस्व विविध प्रा०पत्र सं० 168/2025 घीसुलाल बी कलाल बनाम सरकार

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, अन्य दस्तावेजात का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत ने प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में नाम घीसुलाल बी कलाल पुत्र बख्तावर जी किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात जैसे आधार सं0 41159456097 तथा परिवार राशन कार्ड सं0 20006126379 इत्यादि में घीसूलाल बी कलाल पुत्र बखतावरजी दर्ज हैं। जिससे (1) घीसुलाल पुत्र बगतावरजी (2) घीसु पुत्र बख्तावर एवं घीसुलाल बी कलाल पुत्र बखतावरजी तीनो नामो का एकमात्र व्यक्ति प्रार्थी होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थित भूमि में दर्ज घीसुलाल पुत्र बगतावरजी, घीसु पुत्र बख्तावर के स्थान पर सही व वास्तविक नाम घीसुलाल बी कलाल पुत्र बखतावरजी दुरूस्त रूप से इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गांव बोयल पटवार हल्का बासना तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि सम्पति 'ए' खाता सं0 298 के ख0नं0 120/1, 122 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9300 है0, इसी प्रकार सम्पति 'बी' खाता सं0 116 के ख0नं0 432, 433 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.9500 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज घीसुलाल पुत्र बगतावरजी, घीसु पुत्र बख्तावर के स्थान पर सही व वास्तविक नाम घीसुलाल बी कलाल पुत्र बखतावरजी दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 25/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)